भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1962

13.03.2023 को उत्तर के लिए

वनीकरण योजना

1962. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार देश में वनाच्छादन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वनीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति और इस उद्देश्य के लिए जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून वर्ष 1987 से द्विवार्षिक रूप से देश के वनावरण का आकलन करता है और निष्कर्षों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार, देश का कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.72 प्रतिशत है। वर्तमान आकलन से पता चलता है कि पिछले आकलन अर्थात् आईएसएफआर 2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर देश के कुल वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कुल वन तथा वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार वनावरण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में पारिस्थितिकी प्रणाली की पुन:बहाली और वनावरण में वृद्धि के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं। मंत्रालय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करने और उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् हरित भारत मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत निर्धारित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन तथा गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों को शुरू करके भारत के वनावरण का संरक्षण, पुन:बहाली तथा वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्रवाई करना है। जीआईएम गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू हुई थी।

अब तक, कुल 1,36,808 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनीकरण गतिविधियों के लिए सोलह राज्यों एवं एक संघ शासित क्षेत्र को 728.21 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। विगत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

मंत्रालय वर्ष 2020 से नगर वन योजना (एनवीवाई) को लागू कर रहा है जिसमें राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि (काम्पा) के तहत उपलब्ध निधियों के अधीन वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान देश में 400 नगर वन तथा 200 नगर वाटिकाओं को बनाने की परिकल्पना की गई है। नगर वन योजना का उद्देश्य शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में जैव- विविधता सहित हरित आवरण को बढ़ाना, पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करना तथा शहर के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। अभी तक, मंत्रालय ने नगर वन योजना के तहत 238.96 करोड़ रूपए की कुल लागत के साथ 270 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि (काम्पा निधि) का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार किया जा रहा है जो प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) और सीएएफ नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के कारण वन तथा वृक्षावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए है। इसके अतिरिक्त, वन भूमियों के परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रावधान जैसे कि जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, वन्यजीव संरक्षण योजना, मृदा तथा नमी संरक्षण योजना तैयार करना आदि भी विनिर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी काम्पा निधियों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

संबंधित मंत्रालय की विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बासं मिशन, कृषि-वानिकी पर उप-मिशन आदि के तहत तथा विभिन्न विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी, कॉर्पोरेट निकायों आदि के माध्यम से राज्य-सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की योजनाओं के तहत भी वनीकरण गतिविधियों की जाती हैं। बहु विभागीय प्रयासों ने देश में वनावरण को संरक्षित रखने और बढ़ाने के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

****

अनुबंध- I

'वनीकरण योजनाओं ' के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1962 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आईएसएफआर 2021 के अनुसार वनावरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्रफल (जीए)	कुल वनावरण	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत	आईएसएफआर 2019 के संदर्भ में वनावरण में परिवर्तन	2019 आकलन के संदर्भ में प्रतिशत में परिवर्तन	झाड़िया (स्क्रब)
1	आंध्र प्रदेश	1,62,968	29,784	18.28	647	2.22	8,276
2	अरुणाचल प्रदेश	83,743	66,431	79.33	-257	-0.39	797
3	असम	78,438	28,312	36.09	-15	-0.05	228
4	बिहार	94,163	7,381	7.84	75	1.03	236
5	छत्तीसगढ	1,35,192	55,717	41.21	106	0.19	615
6	दिल्ली	1,483	195.00	13.15	-0.44	-0.23	0.38
7	गोवा	3,702	2,244	60.62	7	0.31	0
8	गुजरात	1,96,244	14,926	7.61	69	0.46	2,828
9	हरियाणा	44,212	1,603	3.63	1	0.06	159
10	हिमाचल प्रदेश	55,673	15,443	27.73	9	0.06	322
11	झारखंड	79,716	23,721	29.76	110	0.47	584
12	कर्नाटक	1,91,791	38,730	20.19	155	0.40	4,611
13	केरल	38,852	21,253	54.70	109	0.52	30
14	मध्य प्रदेश	3,08,252	77,493	25.14	11	0.01	5,457
15	महाराष्ट्र	3,07,713	50,798	16.51	20	0.04	4,247
16	मणिपुर	22,327	16,598	74.34	-249	-1.48	1,215
17	मेघालय	22,429	17,046	76.00	-73	-0.43	663
18	मिजोरम	21,081	17,820	84.53	-186	-1.03	1
19	नगालैंड	16,579	12,251	73.90	-235	-1.88	824
20	ओडिशा	1,55,707	52,156	33.50	537	1.04	4,924
21	पंजाब	50,362	1,847	3.67	-2	-0.11	34
22	राजस्थान	3,42,239	16,655	4.87	25	0.15	4,809
23	सिक्किम	7,096	3,341	47.08	-1	-0.03	296
24	तमिलनाडु	1,30,060	26,419	20.31	55	0.21	758
25	तेलंगाना	1,12,077	21,214	18.93	632	3.07	2,911
26	त्रिपुरा	10,486	7,722	73.64	-4	-0.05	33
27	उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,818	6.15	12	0.08	563
28	उत्तराखंड	53,483	24,305	45.44	2	0.01	392
29	पश्चिम बंगाल	88,752	16,832	18.96	-70	-0.41	156
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	8,249	6,744	81.75	1	0.01	1
31	चंडीगढ़	114	22.88	20.07	0.85	3.86	0.38
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	602	227.75	37.83	0.10	0.04	4.85
33	जम्मू और कश्मीर	2,22,236	21,387	39.15	29	0.14	284
34	लद्दाख		2,272	1.35	18	0.80	279
35	लक्षद्वीप	30	27.10	90.33	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	490	53.30	10.88	0.89	1.70	0.00
	कुल	**32,87,469**	**7,13,789**	**21.71**	**1,540**	**0.22**	**46,539**

अनुबंध- II

'वनीकरण योजनाओं ' के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1962 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन योजना के तहत 2017-18 से 2022-23 तक जारी निधियों का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	0.45	2.67	शून्य	शून्य	2.02	शून्य
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13.43	शून्य
3	छत्तीसगढ	10.95	5.36	5.04	1.66	6.12	शून्य
4	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.55	शून्य
5	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	17.09	शून्य	शून्य
6	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	25.73	शून्य	6.49
7	कर्नाटक	0.86	1.62	2.21	2.35	4.45	2.93
8	केरल	शून्य	शून्य	16.32	शून्य	शून्य	शून्य
9	मध्य प्रदेश	शून्य	24.16	30.65	शून्य	18.29	17.93
10	महाराष्ट्र	शून्य	10.30		शून्य	शून्य	शून्य
11	मणिपुर	6.42	4.89	4.16	6.74	9.93	5.45
12	मिजोरम	20.00	22.36	17.71	2.99	29.86	36.27
13	ओडिशा	1.41	4.74	14.19	26.01	17.74	8.48
14	पंजाब	6.22		3.19		3.32	2.7393
15	सिक्किम	शून्य	3.32	3.12	2.19	7.77	6.57
16	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	27.89	33.99	28.40
17	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	9.43	शून्य	शून्य	0.76
कुल		**46.30**	**79.43**	**106.01**	**112.65**	**156.46**	**116.01**

अनुबंध III

'वनीकरण योजनाओं ' के संबंध में दिनांक 13.03.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1962 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई काम्पा निधि का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई धनराशि (राशि रुपये में)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान और निकोबार	1,56,00,000.00	शून्य	16,41,18,034.00	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	1,04,47,00,000.00	17,34,81,40,177.00	शून्य	1,14,05,48,162.00	शून्य
3	अरुणाचल प्रदेश	3,54,15,00,000.00	15,88,71,93,258.00	शून्य	6,12,94,58,249.00	शून्य
4	असम	45,84,00,000.00	5,60,80,73,954.00	शून्य	-	1,48,33,97,176.00
5	बिहार	46,61,90,000.00	5,22,94,75,017.00	शून्य	43,63,92,536.00	शून्य
6	चंडीगढ़	1,27,00,000.00	11,37,92,289.00	शून्य	-	शून्य
7	छतीसगढ	शून्य	57,91,70,20,385.00	शून्य	2,07,50,40,301.00	शून्य
8	दादर और नगर	शून्य	शून्य	शून्य	22,87,00,439.00	शून्य
9	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य
10	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	1,38,17,38,583.00	शून्य
11	गोवा	शून्य	2,38,15,66,295.00	शून्य	शून्य	शून्य
12	गुजरात	2,12,66,00,000.00	14,84,60,03,080.00	शून्य	शून्य	शून्य
13	हरियाणा	1,44,20,00,000.00	12,82,65,30,878.00	शून्य	शून्य	शून्य
14	हिमाचल प्रदेश	1,32,52,00,000.00	16,60,72,19,227.00	शून्य	शून्य	शून्य
15	जम्मू और कश्मीर	शून्य	5,10,11,54,800.00	3,56,19,88,860.00	शून्य	शून्य
16	झारखंड	2,86,25,00,000.00	41,58,01,69,322.00	शून्य	शून्य	शून्य
17	कर्नाटक	1,01,40,00,000.00	13,50,37,43,189.00	शून्य	शून्य	शून्य
18	केरल	14,61,00,000.00	81,58,66,102.00	शून्य	शून्य	शून्य
19	लद्दाख (सं.रा.क्षेत्र)	शून्य	शून्य	2,49,27,14,340.00	शून्य	शून्य
20	लक्षद्वीप (सं.रा.क्षेत्र)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21	मध्य प्रदेश	2,68,76,00,000.00	51,96,69,19,315.00	शून्य	9,90,82,99,200.00	शून्य
22	महाराष्ट्र	2,25,00,00,000.00	38,44,24,19,155.00	शून्य	2,85,22,21,971.00	शून्य
23	मणिपुर	24,85,00,000.00	3,09,76,18,132.00	शून्य	36,43,61,620.00	शून्य
24	मेघालय	शून्य	1,63,30,65,753.00	शून्य	शून्य	शून्य
25	मिजोरम	8,30,00,000.00	2,12,98,47,833.00	शून्य	शून्य	शून्य
26	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	ओडिशा	5,54,00,00,000.00	59,33,98,06,189.00	शून्य	3,47,27,30,804.00	शून्य
28	पुडुचेरी (यूटी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	पंजाब	79,20,00,000.00	10,40,84,37,006.00	शून्य	शून्य	29,49,32,090.00
30	राजस्थान	1,82,03,00,000.00	17,48,25,94,648.00	शून्य	शून्य	शून्य
31	सिक्किम	-	3,92,36,08,568.00	शून्य	शून्य	10,20,08,491.00
32	तमिलनाडु	7,00,00,000.00	1,13,41,93,727.00	शून्य	शून्य	शून्य
33	तेलंगाना	2,37,38,00,000.00	31,10,38,02,776.00	शून्य	शून्य	67,76,22,192.00
34	त्रिपुरा	16,70,00,000.00	1,83,65,13,688.00	शून्य	47,99,87,468.00	शून्य
35	उत्तर प्रदेश	1,50,60,00,000.00	18,19,62,67,880.00	शून्य	शून्य	शून्य
36	उत्तराखंड	3,03,00,00,000.00	26,75,09,03,454.00	शून्य	शून्य	1,18,99,55,031.00
37	पश्चिम बंगाल	21,22,00,000.00	2,36,47,68,181.00	शून्य	शून्य	69,28,38,990.00
	कुल	**35,23,58,90,000.00**	**4,79,57,67,14,278.00**	**6,21,88,21,234.00**	**28,46,94,79,333.00**	**4,44,07,53,970.00**

****